

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

राजेश कुमार सुभाष आदि

दावा बाबत :- 88 RTA-ct

मुकदमा नम्बर :- 54/2020

निर्णय दिनांक :- 16-11-2021

वादी की ओर से वकील अनूप कुमार सिंह की व प्रतिवादी सं0 2 की

ओर से वकील राजेश कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16-11-2021

में मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने

पर आदेश दिया जाता है कि शेही अजीतपुरा के खाता सं 685/642 के

खसरा सं 68 की ज-82908 वारानी खातदारी सुभाष व राजमल

वल्ह लालचन्द के नाम संयुक्त रूप से 80 हिस्सा राजसव खात

में दर्ज है में से राजमल के लजाए राजेश कुमार वल्ह लालचन्द

की दोषणा की जाती है। उपरोक्त लुडि मुक्ति में राजमल के स्थान

पर राजेश कुमार वल्ह लालचन्द किया जाकर राजसव खात

दुरस्त किया जाए।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हुनमानगढ़ भादरा
प्र.गा. के संग अ.-2021
कैम्प
अजीतपुरा